भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 507**

**14 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का मनमाने ढंग से निर्धारण**

**507. श्री संभाजी छत्रपतीः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या 2016-2017 के दौरान धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1550 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि किसानों के लिए उत्पादन की लागत 1484 रुपये प्रति क्विंटल थी और इस प्रकार लाभ का मार्जिन केवल 64 रुपये प्रति क्विंटल रहा;

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार इन मानदंडों की समीक्षा करने और सही तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का विचार रखती है ताकि किसानों को उनकी लागत से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक लाभ प्राप्त हो सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए धान (सामान्‍य) हेतु न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) को 1470 रूपए प्रति क्‍विंटल तथा धान (ग्रेड ‘ए’) के लिए 1510 रूपए प्रति क्‍विंटल पर निर्धारित किया था। जैसाकि कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया है, वर्ष 2016-17 के लिए धान हेतु अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत 1045 रूपए प्रति क्‍विंटल थी जिससे लागत के ऊपर 40.7 प्रतिशत मुनाफा प्राप्‍त हुआ।

(ख) सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग की सिफारिशों के आधार पर धान सहित 22 अधिदेशित खरीफ एवं रबी फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित किया है।

न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की सिफारिश करते समय, कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग उत्‍पादन की लागत एवं अनेक कारकों पर विचार करता है यथा मांग-आपूर्ति की स्‍थिति, घरेलू एवं अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में प्रवृत्‍तियां, अंत:फसल मूल्‍य समानता, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्‍यापार की शर्तें तथा भू एवं जल जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों की सदृश उपयोगिता के साथ-साथ उपभोक्‍ताओं एवं समग्र अर्थव्‍यवस्‍था पर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का संभावित प्रभाव। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों के निर्धारण में उत्‍पादन की लागत एक महत्‍वपूर्ण कारक है। उत्‍पादन की लागत में भुगतान की गई सभी लागतें जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम, भूमि में पट्टा के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर नकद और वस्‍तु के रूप में किया गया व्‍यय, सिंचाई प्रभार, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्‍य ह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्‍याज, पंप सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली का व्‍यय आदि, विविध व्‍यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्‍य शामिल हैं। अत: विचार की लागतें बहुत सघन हैं एवं ये समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा सिफारिश की गई पद्धति पर आधारित हैं।

(ग) तथा (घ) सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए सभी अधिदेशित खरीफ, रबी एवं वाणिज्‍यिक फसलों हेतु न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) में पर्याप्‍त रूप से वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है क्‍योंकि यह 2018-19 के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित उत्‍पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्‍तर पर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित करने संबंधी पूर्व निर्धारित सिद्धांत की वचन बद्धता को पूरा करता है। वर्ष 2018-19 के लिए सभी अधिदेशित कृषि फसलों हेतु उत्‍पादन लागत के ऊपर कम से 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा।

\*\*\*\*\*